

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक 9131/स्था/अराज/2023

जबलपुर दिनांक, 07/10/2023

//सीमित विज्ञप्ति सूचना //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 20.04.2018 द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर-शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 के तहत संचालनालय चिकित्सा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 743/स्था/अराज/2021 भोपाल दिनांक 12/04/2021 द्वारा जारी सह-चिकित्सकीय एवं गैर-शैक्षणिक संवर्ग की अनुसूची के आधार पर संभागायुक्त जबलपुर द्वारा अनुमोदन उपरांत नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के अंतर्गत अनुसूची अनुसार पदोन्नति/सीधी भर्ती के रिक्त निम्नलिखित पदों की पूर्ती की जानी है। आवेदन पत्र की पात्रता सिर्फ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय की स्थापनाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की होगी। आवेदन निर्धारित प्रारूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के कार्यालय में दिनांक 25/10/2023 (बुधवार) सांय 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप संस्था के वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर उपलब्ध होंगे।

रिक्तियाँ निम्नानुसार है:-

स.क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की संख्या		
			UR	ST	SC
1	कार्यालय अधीक्षक	02	02	00	00
2	लेखापाल	03	02	00	01
3	सहायक ग्रेड-1	02	01	01	00
4	सहायक ग्रेड-2	19	11	03	05
5	स्टोर कीपर	11	06	03	02
6	लैब टेक्नीशियन	32	20	07	05
7	लैब असिस्टेंट	07	03	02	02

शैक्षणिक योग्यता एवं पद का वेतनमान:-

स.क्र.	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता	मूल वेतनमान (सातवें वेतनमान अनुसार)
1	कार्यालय अधीक्षक	सहायक वर्ग-1/लेखापाल के पद पर 10 वर्ष का कार्यानुभव।	36200/-
2	लेखापाल	कैशियर/स्टोर कीपर के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव।	28700/-
3	सहायक ग्रेड-1	सहायक ग्रेड-2 के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव।	28700/-
4	सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-3 के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव तथा जो स्टेनो टायपिस्ट, स्टेनोग्राफर के लिये निर्धारित अर्हता (शीघ्रलेखन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से) पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें भी सहायक ग्रेड-2 के लिये पद पर पदोन्नत किया जावे।	25300/-

5	स्टोर कीपर	सहायक ग्रेड-3 के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव एवं लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक ।	25300/-
6	लैब टेक्नीशियन	लैब असिस्टेंट के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव एवं मध्यप्रदेश सह- चिकित्सकीय परिषद द्वारा विहित योग्यता ।	28700/-
7	लैब असिस्टेंट	1. लैब अटेंडेंट का 05 वर्ष का अनुभव । 2. अभ्यर्थी ने बायोलॉजी, केमेस्ट्री, तथा फिजिक्स विषयों में 10+2 प्रणाली में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो । 3. मान्यता प्राप्त संस्था से पैथोलॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी.)/क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा/माइक्रो-बायोलॉजी का डिप्लोमा । 4. मध्यप्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन ।	28700/-

2. यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगी ।

3. वेतनमान एवं अन्य भत्ते:-

शासन के नियमानुसार देय होगा ।

4. आरक्षण:-

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।
2. उक्त पदों पर राज्य शासन द्वारा नवीनतम राज्य स्तरीय पदोन्नति रोस्टर लागू किया गया है ।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्याथियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो ।

5. आयु सीमा:-

उक्त पदोन्नति/सीधी भर्ती के पदों पर आयु सीमा में छूट रहेगी ।

6. सामान्य शर्तें:-

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
2. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है ।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा ।
4. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा ।
5. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है । इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।

6. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
7. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मान्य होगा।
8. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
09. वैवाहिक स्थिति- एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
10. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होंगी।
11. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं अथवा उम्मीदवार की सामान नियुक्ति दिनांक हो तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा। अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने के स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारित आवश्यकता न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
14. उक्त पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लें।

07. निर्हतायें :-


निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा:-

1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
3. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
4. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:-
 - अ. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 - ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।
 - स. महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध पाए गए।
 - द. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

08. चयन प्रक्रिया


मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम, 2018 के बिंदु क्रमांक 7 में पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर निम्न में से कोई भी एक या अधिक मापदण्ड अपनाए का निर्णय ले सकेगी:-

- (अ) कार्यकारिणी समिति के चिकित्सा महाविद्यालय में की गई सेवा अवधि का मूल्यांकन।
- (ब) साक्षात्कार।
- (स) लिखित परीक्षा।


 N.S.C.B. Medical College
 Jabalpur (M.P.)

09. महत्वपूर्ण टीप:-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देश का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।


(डा. मीता मुर्दिन) 10/23

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

आवेदन का प्रारूप

(नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।)

» आवेदित पद का नाम :

स्वप्रमाणित
फोटो

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष/महिला
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
(दिनांक 01.01.2023. के अनुसार) आयुवर्ष माह दिवस
5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....

मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....

6. स्थाई पता.....

मोबाइल नं.....

7. आधार कार्ड नम्बर

8. विवाहित/अविवाहित.....विवाह होने पर संतानों की संख्या.....

विवाह की तिथि

09. वर्ग: अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
.....(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

10. शैक्षणिक योग्यताएं :- (प्रमाण पत्र एवं अंकसूची को स्वप्रमाणित सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) पद के अनुसार योग्यता अंकित करें।

क्रं	परीक्षा का नाम	संस्था/ बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	कुल प्राप्तांक/ पूर्णांक	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1							
2							
3							
4							

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

11. शासकीय सेवा अनुभव :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक	अनुभव वर्ष / माह / दिन	सक्षम पदनाम	अधिकारी
1					
2					
3					

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)। (जो भी लागू हो)।

1. जन्मतिथि के लिये कक्षा 10वी की अंकसूची।
2. कक्षा 12वी की अंकसूची।
3. संबंधित विषय में डिग्री/डिप्लोमा।
4. स्नातक अंकसूची प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम वर्ष।
5. स्नातक डिग्री।
6. स्नातकोत्तर अंकसूची प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष।
7. स्नातकोत्तर डिग्री।
8. निर्धारित आयु के पूर्व विवाह न होने तथा 26.01.2001 के पश्चात तीसरी संतान न होने का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपथ-पत्र संलग्न करें।
नोट:- (विवाहित/अविवाहित सभी अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य)।
9. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र।
10. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र।
11. आय प्रमाण पत्र।
12. आधार कार्ड।

// घोषणा पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी भी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार को कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

स्थान

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक